

मधुमक्खी पालन के लिए योजना (मधुमक्खी पालन) :

उद्देश्य : निम्नलिखित कार्यों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ।

शहद के छत्तों के निर्माण के लिए, कोलोनीज की खरीद, मधुमक्खी रखने के लिए बक्सों तथा उपकरणों की खरीद, शहद निकालने के लिए, एक्सट्रक्टर, स्मोकर्स तथा बी वेल (**Bee veil**), बी नाइफ, रबड़ दस्ताने, फाउंडेशन शीट, शुगर आदि ।

आवर्ती लागत जैसे बुनियादी शीटों, चीनी, दवाओं, दस्ताने, आदि की खरीद

पात्रता : छोटे और सीमांत किसान / कृषि मजदूर जिन्हें मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षित किया गया है मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षित व्यक्ति/समूह/कम्पनी, जिन्हें मधुमक्खी पालन का पर्याप्त अनुभव है और वाणिज्यिक आधार पर मधुमक्खी पालन गतिविधि को लेने के इच्छुक हैं। ।

ऋण की सीमा :

- आवश्यकता-आधारित, प्रारंभिक आवर्ती लागत के लिए भी प्रावधान भी केवल मियादी ऋण का एक अभिन्न हिस्सा के रूप में है। ।

चुकौती : सगर्भता की अवधि सहित अधिकतम 5 वर्ष